

Title : Need to circulate Hindi version of all the schemes and guidelines formulated by the Central Government.

श्री पुन्नु लाल मोहले (बिलासपुर) : स्भापति महोदय, शासन की समस्त परियोजनाओं तथा आयोग में, केन्द्र सरकार के समस्त शासकीय, अशासकीय विभागों में, बैंकों, उपक्रमों आदि सभी में जो आदेश और नियम तथा सर्कुलर जारी किए जाते हैं, वे अधिकतर अंग्रेजी में होते हैं। हिन्दी भाषी क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि में अनुवादक नहीं होने के कारण उनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। **श्री (व्यवधान)** चाहे एनजीओज़ के मामले हों, ग्रामीण विकास के मामले हों, सिंचाई की सुविधा हो, उद्योग धंधे हों या अन्य प्रकार की शासकीय नियमावली या कानून हो, केन्द्र सरकार या अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा अंग्रेजी में सर्कुलर आदि देने के कारण विकास की गति धीमी हो जाती है। अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और वे कम पढ़े-लिखे होते हैं। डीएम या कलेक्टर स्तर के लोग उसे कम समझते हैं और अनुवाद भी अपने-अपने ढंग से अनुवाद करते हैं। **श्री (व्यवधान)** इस दृष्टिकोण से केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि सभी योजनाओं के जो सर्कुलर अंग्रेजी में जारी होते हैं, उन्हें हिन्दी में जारी किए जाएं। हिन्दी मातृभाषा है और इस पर ध्यान देते हुए सभी सर्कुलर और आदेश आदि हिन्दी में जारी किए जाएं जिसे आम लोगों को समझने में सुविधा हो। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि हिन्दी भाषा को प्राथमिकता दी जाए और आदेश जारी किया जाए।